प्रेस विज्ञप्ति
12/09/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत करोड़ों रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी के मामले में 11/9/2025 को अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और तेलंगाना में 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह मामला मेसर्स अमित ट्रेडर्स, गुवाहाटी के खिलाफ शिकायत से उपजा है, जो अपने घोषित पते पर गैर-मौजूद पाया गया। जांच में पता चला कि फर्म ने धोखाधड़ी से खरीददारी दिखाई, फर्जी आईटीसी पास किया और मेसर्स श्री राम एंटरप्राइजेज से जुड़ी हुई थी, जिसने खुद लगभग 700 करोड़ रुपये के फर्जी चालानों पर लगभग 116 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी लिया था।

तलाशी के दौरान बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पता चला। अरुणाचल प्रदेश में रेनबो एंटरप्राइजेज और ए. के. एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटरों ने बिना किसी वास्तविक आपूर्ति या की आवाजाही के 2 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जी आईटीसी लेने की बात स्वीकार की। एक अन्य इकाई, तानोर इंजीनियरिंग ने 4 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी धोखाधड़ी से प्राप्त किया, जिसमें 3 करोड़ रुपये की संपत्ति और 36 लाख रुपये का बैंक बैलेंस फ्रीज किया गया। हैदराबाद में, मेसर्स विनार्ड ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि. ने वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान 110 करोड़ रुपये का फर्जी कारोबार पेश करने, फर्जी चालानों के माध्यम से वाहन निर्माण और बिक्री के रिकॉर्ड गढ़ने और धोखाधड़ी से जीएसटी रिफंड का दावा करने की बात स्वीकार की, जिसे निकाल कर प्रमोटरों, आपूर्तिकर्ताओं और पेशेवर सुविधाकर्ताओं के बीच साझा किया गया, फर्जी ई-वे बिल और अधिकारियों को रिश्वत भी मिली।

हरियाणा में, श्री जय श्री बालाजी ट्रेडर्स और श्री जय श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी ने क्रमशः 87 करोड़ रुपये और 62 करोड़ रुपये का काल्पनिक कारोबार घोषित किया, और धोखाधड़ी वाले आईटीसी (आयकर भुगतान प्रमाण पत्र) प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया, जिससे जीऐसटी तंत्र के दुरुपयोग के पैमाने पर प्रकाश डाला गया। दिल्ली में, श्री पृषा एक्सिम ने हाल के वर्षों में 200 करोड़ रुपये के कथित कारोबार को स्वीकार किया, जिसमें भागीदारों ने अपने नाम पर किए गए लेनदेन के बारे में बहुत कम जानकारी होने का दावा किया, जो डमी संस्थाओं के उपयोग का संकेत देता है।

तलाशी के परिणामस्वरूप बैंक बैलेंस पर रोक लगा दी गई, अचल संपत्ति दस्तावेजों की जब्ती, और नकली चालान, नकली ई-वे बिल और स्तरित फंड हस्तांतरण के माध्यम से जीऐसटी ढांचे के व्यवस्थित दुरुपयोग को उजागर करने वाले अपराध-संकेती रिकॉर्ड की बरामदगी हुई।

प्राथमिक जांच से पता चलता है कि नकली आईटीसी बड़ी वास्तविक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया गया है, जिसकी विस्तृत जांच चल रही है।